(*Interruptions*) Madam, this is an important aspect. May I crave the indulgence of your very kind attention ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please.

SHRI N. K. P. SALVE : Under the old system, Madam, a team had to go and determine what was the extent of the damage caused by natural calamities. After the recommendation of the Ninth Finance Commission which has been accepted here, it is no longer necessary to send a team. The Centre has to make finance available to the State on the basis of the averages, I think, of 5 years or 7 years, of whatever had to be paid by the Centre, and at the end of the 5th year, if any amount remains unused, that becomes the property of the State. In that context of the matter, I want to submit, Madam, that if there is an extraordinary natural calamity, the States are entitled to draw some money in advance. And, therefore, this talk of sending a team in my opinion is literally taking us for a ride. What we need to be told here on the floor of the House is has the State asked for any advance financial assistance and if so, what is the reaction ? Sending a team no longer exists. That was the old system.

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra) : 834 crores of rupees were asked by Maharashtra ... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, Shri Subramanian Swamy.

SHRI N. K. P. SALVE : May be, the Agriculture Minister does not know. The erstwhile Finance Minister is here. He and his predecessor had acepted the report. In terms of that, the business of sending a team is over.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Thank you. Now, we will take up the Special Mentions. स्वामी जी, आप बोलिये ।

SHRI RAJ MOHAN GANDHI (Uttar Pradesh) : Madam, just one minute on Manipur.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, I have moved on ...

SHRI RAJ MOHAN GANDHI : Madam, ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please. What you want to raise could be very important or could not be as important. But now I have moved on to Mr. Subramanian Swamy ....

SHRI RAJ MOHAN GANDHI : Madam, this is the voice of Manipur.

THE DEPUTY CHARMAN : I will allow you later, but not now.

May be, I will allow you at the end of the Special Mentions.

SHRI SUBRAMANIAM SWAMY : only one minute.

SHRI SUBRAMANIAM SWAMY : Madam Deputy Chairman ....

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have moved on to the Special Mentions now.

SHRI RAJ MOHAN GANDHI : Please allow me after this.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Not after this. I will allow you after the 16th Special Mention.

SHRI RAJ MOHAN GANDHI : This is the voice of Manipur.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I will allow the voice of Mr. Raj Mohan Gandhi, not Manipur because Manipur is not here. I have got the special mentions which are listed. I promise I will allow you after the special mentions are over.

... (व्यवधान) ...

आप भी बैठिये । मैं एलाउ कर दूंगी पर यह पूरा होने दीजिए ।

SPECIAL MENTIONS

Bihar Governor's reported interview about the Chief Justice of Patna High Court.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh) : I wish to raise through a special mention a matter of grave and urgent importance in this House, and this is something on which the entire House should

[SHRI SUBRAMANIAM SWAMY]

feel agitated, and that is about the sanctity of the Constitution itself.

As you know, it is the duty of the courts to uphold the law and provide protection to the citizens of the country. But here we have a case of the Chief Justice of a High Court, namely, Bihar High Court. Mr. Bimal Chandra Basak, who has written a letter to the Governor of the State saying : "My life is in danger from the State Government" and to use the exact words : ".... in case something untoward happens to me, my family should be sent to Calcutta under adequate security." Now this is a confirmation from the Governor himself who has given an unprecedented interview because yesterday an attempt was made to say that the whole thing was wrong ....

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : (Bihar) : Yes, I said it. It is in the newspapers.

उपसभापति : अभी उनको बोलने दीजिए । शंकर दयाल सिंह जी, चेयरमैन साहब ने स्पेशल मेंशन दिया है और मैंने परमिट किया है । इस वक्त उनको बोलना है, उनको बोलने दीजिए उनको अधिकार है बोलने का हाउस में । अगर आपको कुछ बोलना है तो आप भी चेयरमैन साहब से परमिशन ले लीजिए, हम आपको बोलने देंगे । मगर अभी उनके अधिकार के ऊपर आक्रमण करना ठीक नहीं है ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : I belong to the weaker section and all the time these Rajputs from Bihar are attacking me.

Madam, in order to refresh the memory of this House as to the facts, just let me make two points. Number one is, the 'Hindustan Times' today says on the front page : "Bihar Governor, Mohammad Shafi Qureshi today confirmed that State's Chief Justice Bimal Chandra Basak had written a confidential letted to him expressing fear that his life was in danger. In an exclusive interview with this correspondent here today, the Governor categorically stated : 'The letter is with me. I still possess the letter written by the Chief Justice fearing threat to his life from the State Government". Now, there is no ambiguity at all, and I would request even my Janata Dal Members of this House to please associate themselves with me on this issue of unprecedented attack on the Constitution of India. It is not a question of which government is there. It is a question of trampling upon the Constitution itself. Madam, what is even more worrisome is that despite the statement by the Minister yesterday that adequate security would be given to the Chief Justice, according to the 'Hindustan Times' reports. "No additional security has been provided to Chief Justice B. C. Basak despite an announcement to this effect by the Central Government on Monday last in the Rajya Sabha. The Rajya Sabha was informed on Monday that the Chief Justice had been provided adequate security following reports that he had written to the Governor about threat to his life. However, the State Home Minister, Mr. Arya denied today that he has received any communication in this regard from the Centre."

So I would like to know first of all whether the Government has done anything at all. In fact if the National Security Guards—NSG—is to be provided to anybody, it should be to the Chief Justice rightaway.

Lastly I would like to say that it is not a question of Bihar here. It is a question of the Constitution itself, and under the Chief Ministership of Mr. Laloo Yadav, this problem of threat to life has become almost epidemic. I had in this House mentioned how Mr. Hind Kesri, a Minister in the Government of Mr. Laloo Yadav had himself made a public statement and written to the President of India that his life was under threat, while he was a Minister, and we have the examples of Members of Parliament belonging to Janata Dal. Shri Ram Saran Yadav was under threat from the Chief Minister. In the case of Shri Ram Lakhan Singh Yadav, the Chief Minister ordered, against the wishes of the Chief Secretary and the entire Administration, that his house should be demolished. Shri Ahluwalia has been accused of wanting to

attack, criticise, the Chief Minister because he is, allegedly, supposed to have some problem with Income-tax. Income-tax is no concern of Shri Laloo Yadav. It comes under the Central Government. If Shri Ahluwalia had problem regarding income-tax, why should he take his anger on Shri Laloo Yadav ?

Madam, therefore, today, there is an utter and total breakdown of law and order in Bihar. When the Chief Justice himself says that in case anything happens to him, it should be ensured that his children reach Calcutta, I say, the Constitution has completely broken down. But I am surprised. When the Government of India, here, has an obligation under article 356, where it is explicitly laid down that if there is a total breakdown, the Centre has to act, and act immediately, I am surprised why the Government of India is hesitating. I do not know whether there has been any communication between the Government of India and Shri Laloo Yadav. I am told, the Chief Minister is here. The fact is, there is an obligation, under the Constitution, on the Central Government to act immediately, under article 356. Therefore, I conclude by making two demands. One is, NSG should be immediately sent to the residence and office of the Chief Justice of Bihar. Secondly, immediately, President's rule should be imposed on Bihar and the Assembly should be put under suspended animation.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभापति जी, मैंने पिछले सोमवार को इस सदन में एक सप्लीमेंट्री के माध्यम से यह सवाल पूछा था कि क्या चीफ जस्टिस आफ बिहार को ऐसी धमकी है, या गवर्नर को क्या कोई ऐसा पत्र लिखा है ।

तो विधि मंत्रालय के राज्य मंत्री ने इसका जवाब देते हुए बताया था कि उनको ऐसी सूचना है और वह बिहार सरकार से इसका पता लगा कर के इसे सदन के पटल पर रखेंगे । यह बात उठने के बाद दूसरे सदन में भी उठी और इसको लेकर काफी हंगामा हुआ ।

श्री लालू प्रसाद यादव, जो हमारे राज्य के मुख्य मंत्री है, उन्होंने परसों एक बयान में कहा कि –

> "The Chief Minister, however, offered an explanation. The Congress (I) MP, Mr. Ahluwalia, he alleged, had a grouse against him because a factory owned by Mr. Ahluwalia in the State had been charged with tax evasion."

उपसभापति जी, बड़ी शर्मनाक बात है हम राजनीति करते हैं, हम लोगों की आइडियालोजी दूसरी हो सकती है, हम एक दूसरे से बेइतफाकी कर सकते हैं, किंतु इस तरह का बयान एक मुख्य मंत्री की जुबान से निकले, इसकी मैं कभी उम्मीद नहीं करता था और न ही मेरा पर्सनल किसी से झगड़ा है ।

मैं तो राज्य में किसी पर अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज उठाता हूं और जब कांग्रेस का राज रहा है, कांग्रेस के किसी आदमी न अत्याचार किया है, तो उसके विरुद्ध भी इस सदन में मैंने आवाज उठाई है, और कभी भी नहीं छोड़ा । जब सचिंदर सिंह को यहां छत तल्ले उठा कर नीचे फेंक दिया गया, हमारा वित्त मंत्रालय था, हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट था, दिल्ली की सरकार थी, पर मैंने आवाज उठाई थी । अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा सब संसद सदस्यों का धर्म है, फर्ज है । ... (व्यवधान)

श्री कमल मोरारका (राजस्थान) : वीरेन जे० शाह का भी । ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : हां, और हम उठाते हैं ।

श्री कमल मोरारका : वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनका कोई प्रोपेगंडा नहीं है । ... (व्यवधान)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu) : The less said the better. (*Interruptions*)

SHRI KAMAL MORARKA : Let us discuss it. Don't try to push it under the carpet. You are not holier than anybody else. Yes, the less said the better. The less said about this bunch the better. (*Interruptions*)

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : दूसरे सदस्य की ...(**व्यवधान**) गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : We are discusing an issue. Please, let him speak. (*Interruptions*) The issue is limited.

SHRI KAMAL MORARKA : He is casting aspersions against a Member of this House. (*Interruptions*)

SHRI N. E. BALARAM (Kerala) : Madam, Viren Shah was also discussing an issue the other day. (*Interruptions*)

SHRI N.K.P. SALVE (Maharashtra) : Madam, bonafides and credibility of no Member of this House should ever be impugned, whether it is Mr. Ahluwalia, or, Mr. Viren Shah, or, anybody else. (*Interruptions*) Come to the merits of the matter.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, पर दुर्भाग्य की बात है और चूंकि मैं इस अखबार की न्यूज को सदन के रिकार्ड पर लाया हूं मैं उस रिकार्ड को स्ट्रेट भी कर देना चाहता हूं ।

मैं किसी का देनदार नहीं हूं, लेनदार जरूर हूं । मेरे को बिहार सरकार से रिफंड लेना है और वह एक दो रुपये नहीं है, करीब 40 लाख रुपया रिफंड लेना है । It is not a matter of tax evasion, it is a matter of refund. जिसकी जजमेंट पटना हाई कोर्ट ने अभी दी है और बिहार सरकार को सूचित किया है कि अगर कुछ दिनों के अन्दर नहीं किया तो सूद सहित यह पैसा इनको दिया जाए । यह आज का मामला नहीं है, 1987 का मामला है जिसके बीच हमारी भी सरकारें रहीं और यह मामला है । उपसभापति महोदया, मैं इस चीज को स्टेट कर देना चाहता हूं और यह दूसरी बात बता देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा मामला उठाया है जैसे कि अगर सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बिहार का मामला उठाया है या यशवन्त सिन्हा उठायेंगे या अश्विनी कुमार उठाते हैं या जयन्ती नटराजन या नारायणसामी उठाते हैं, सब क्या बिहार के टैक्स इवेडर है ? सब का यही ग्राउज है ? ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई भावना से लेकर यहां नहीं आता । मेरी सीधी मांग है जो पहले दिन मांग थी आज वह मांग है कि यह जो बार-बार प्रचार हो रहा है कि चीफ जस्टिस ने गर्वनर को एक चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति से मुलाकात की है । विधि मंत्री से मुलाकात की है । चीफ जस्टिस आफ् इंडिया से मुलाकात की है या गृह मंत्री से मुलाकात की है । महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो भी पत्राचार हुआ है या जो भी बात हुई है वह सदन में रखी जाए । सच्चाई सामने आनी चाहिए कि वाकई चिट्ठी में क्या लिखा है और चिट्ठी में उन्होंने किसको एक्यूज किया है और किससे डर है, यह जानने की जरूरत आज सदन को है और सदन के माध्यम से सारे देश को जानने की जरूरत है । महोदया, मैं उसके साथ-साथ .... (**व्यवधान**) एक मिनट, मेरे को खत्म कर लेने दें । मैं उसके साथ-साथ मांग करूंगा कि जैसा कि अभी सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने एक ब्यान में कहा कि वहां के होम सेक्रेटरी जिया लाल आर्य ने कहा है कि हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिली है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय गृह मंत्रालय से 10 अप्रैल को कोई चिट्ठी राज्य सरकार को लिखी गई थी ? अगर लिखी गई थी तो वह किस आफिसर ने लिखी थी और उसमें क्या लिखा गया था ? किसको सैक्युरिटी प्रोवाइड करने के लिए लिखा गया था ? ये जितने भी पत्राचार हैं यह सदन में रखे जाएं और सदन में रख कर उस पर बहस

की जरूरत है, ताकि साफ़ चीज़ सदन के सामने आ सके और पता लग सके कि चीफ जस्टिस को किससे खतरा है, क्यों खतरा है ? अगर खतरा है तो यह गंभीर मामला है, उस पर विचार करने की जरूरत है । धन्यवाद ।

श्री शंकर दयाल सिंह : महोदया, आपकी इजाजत से केवल एक मिनट का समय मैं इसलिए ले रहा हूं . . . **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN : Just a minute.

श्री शंकर दयाल सिंह : क्योंकि मेरा प्रश्न वह था . . . **(व्यवधान)**

उपसभापति : सत्य प्रकाश मालवीय जी ने लिख कर मांगा है ।

श्री शंकर दयाल सिंह : और मेरे प्रश्न के बाद यह सारे प्रश्न उठे । मैं इतना ही कहना चाहता हूं . . . **(व्यवधान)**

उपसभापति : एक मिनट ।

श्री शंकर दयाल सिंह : कि सारे तथ्यों को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए । एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी भी इस तरह की बातें होती है उसके अंदर एक ही मंशा मुझे नज़र आती है कि बिहार की सरकार को बदनाम करो और उसे किसी तरह से बर्खास्त करो । . . . **(व्यवधान)** जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, चीफ जस्टिस को प्रोपर सुरक्षा के सारे अधिकार प्राप्त हैं । . . . **(व्यवधान)**

SHRI KAMAL MORARKA : I want to associate myself with this.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal) : I am on a point of order. (*Interruptions*).

श्री शंकर दयाल सिंह : वे जब चलते हैं तो उनके आगे एक साइरन बजता हुआ सुरक्षा की गाड़ी चलती है और एक पीछे सुरक्षा की गाड़ी चलती है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I cannot allow. We are not having a discussion on this.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN : What is your point of order ? Not on this.

श्री शंकर दयाल सिंह : इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की दुर्भावना से सदन में कोई भी बातें नहीं होनी चाहिएं । यदि उन्होंने पत्र रखा है क्योंकि सोमवार को मेरा वह प्रश्न था . . . **(व्यवधान)**

उपसभापति : उनका प्वायंट आफ् आर्डर है ।

श्री शंकर दयाल सिंह : नहीं-नहीं, मैडम, मेरे प्रश्न पर, उसके बाद उन्होंने उस पर . . . **(व्यवधान)**

उपसभापति : शंकर दयाल सिंह जी उनका प्वायंट आफ् आर्डर है गुरुदास दासगुप्त जी का ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं चाहता हूं कि सारी चीजें सदन के पटल पर आनी चाहिएं और उस पर बहस हो और बिहार सरकार के प्रति दुर्भावना रख करके यह बात नहीं होनी चाहिए कि उसको समाप्त करने के लिए इस तरह का कुचक्र किया जाए ।

उपसभापति : आपका क्या प्वायंट आफ् आर्डर हो सकता है ? . . . **(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Just allow me to speak.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : महोदया . . . **(व्यवधान)**

उपसभापति : एक मिनट । Let us hear his point of order. Yes, Shri Gurudas Das Gupta.

श्रीमती कमला सिन्हा : स्पष्ट कहा गया था गर्वनर साहब को इस तरह का कोई पत्र नहीं मिला और चीफ जस्टिस ने मुझको

श्रीमती कमला सिन्हा

स तरह का कोई पत्र नहीं लिखा है (व्यवधान)

उपसभापति : अभी आप बैठिये । बैठिए । . . . (व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Madam, on a number of occasions, as a presiding officer you have given the ruling that we should not discuss problems about persons or statements of persons who are not present in the House. Madam, there have been deviations from this, I am not going into deviations, but I just look forward to the observahce of rules. In this case... (*Interruptions*) ... What is this ? In this case ...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Now you have become holy cow ?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : I wish you protect also the right of the Members. In this case, two statements are involved. One is the reported statement by the Governor. I would like to know, Madam, whether a Governor is entitled to speak openly like this about the Chief Minister.

... (*Interruptions*) ...

SHRI V. NARAYANASAMY : The Chief Justice ... (*Interruptions*) ..

THE DEPUTY CHAIRMAN : Wait a minute, Mr. Narayanasamy.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Let me complete.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I will give my ruling. Don't worry; don't get worried.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : The point is ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Your point of order should not become a speech, becouse you are making one. Don't go into the merits because I have only a one-line answer.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : I want your ruling on two issues—whether in the absence of the persons motives can be imputed. Here motive is being imputed to the statement of the Governor and also the reported statement of the Chief Minister. Can it be done ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : That is enough. I have heard it. Enough.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Another is ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : What another ?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : ... whether the Governor can make a statement against his own Chief Minister. Is it right under the Constitution and will you allow this aspersion to go on ?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : It is not ... (*Interruptions*) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mrs. Natarajan, just a minute. It is the Chairman, who is the custodian of the House, who has given the permission to make this Special Mention. This is my ruling and information to the House. If you have any objection, any doubt, he is an authority on law and you may ask him. He will give his explanation as to why he has permitted such a thing Okay ? Now that is over ... (*Interruptions*) ... But we cannot continue a discussion on this.

SHRI KAMAL MARARKA : I am not from Bihar. I can get one minute.

श्री यशवन्त सिन्हा (बिहार) : मैडम, एक मिनट । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसे अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि हम जितने सवाल यहां उठा रहे हैं, जिस दिन से पहली बार उठा, वह न्यूजपेपरस के बेस पर उठा रहे हैं । मुझे याद है, कल शंकर दयाल सिंह जी ने कहा कि यह खबर छपी है और जैसा अभी कमला जी कह रही है कि उनका कोई इस तरह का बयान नहीं आया । आज खबर छपी है कि बयान आ गया है । मैं यह कह रहा हूं कि क्या सरकार सो रही है ? अभी अहलुवालिया जी ने कहा, उस दिन राज्यमंत्री ने यह कहा था कि वह इफोरमेशन कलेक्ट करेंगे उनकी जानकारी में इस तरह की बात है ।

लेकिन, चार-पांच दिन हो गए और अभी तक हम अखबारों के बेस पर इसको डिसकस करते रहे हैं। मैं यह बहुत जोर से डिमाण्ड करना चाहता हूं, पूरी शक्ति के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि सदन में खुलासा हो कि इस प्रकार की चिट्ठी लिखी गई है या नहीं लिखी गई ? हम हवा में बात नहीं करना चाहते। यह पूरी तरह से खुलासा यहां होना चाहिए। सरकार को, अगर संभव हो तो आज ही, यह बयान देना चाहिए कि क्या स्थिति है ? यह अखबारों के बेस पर हम जो डिसकस करते हैं तो कल कोई दूसरा बयान छपेगा तो उस पर डिसकस करेंगे और परसों कोई और छपेगा तो उस पर डिसकस करेंगे। सारी बात साफ होनी चाहिए। आप सदन की तरफ से सदन की भावना को देखते हुए, सदन की मर्यादा को देखते हुए यह निर्देश दें सरकार को, कि वह इस पर वक्तव्य जारी करे आज करे या कल करे लेकिन दो दिन के भीतर होना चाहिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय, **उपसभापति** जी, मामला बहुत गंभीर है। चार-पांच दिन पहले यह विषय इस सदन में आया था और राज्यमंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकार की चिट्ठी की जानकारी केन्द्र सरकार को है। यह विषय बहुत ही गंभीर है। क्या पत्राचार है, क्या पत्राचार नहीं है ? श्री यशवंत सिन्हा जी की बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं कि इस संबंध में सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए। यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो केवल आज उठाया गया है, चार-पांच दिन पूर्व उठाया गया था।

दूसरे, माननीया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वक्त इस सदन में कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य उपस्थित नहीं है।

उपसभापति : है, न।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं मंत्रिमंडल' केबिनेट की बात कर रहा हूं, जबकि लीडर आफ द हाउस केबिनेट के मेम्बर हैं, दो-दो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर है। मेरा निवेदन है सुबह भी यह बात आई थी प्रधानमंत्री जी के संबंध में, कम से कम इतना तो सुनिश्चित करें कि राज्य सभा की इतनी अवमानना तो न हो कि इतने-इतने मंत्रिमडल के सदस्य हैं और राज्यसभा में एक भी नहीं। अब यह महत्वपूर्ण विषय है और मंत्रिमडल का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं है।

उपसभापति : हम पता लगा लेंगे कि रोस्टर . . . **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीया, आप इस चीज को नोट करिए कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल का एक भी सदस्य इस सदन में नहीं है।

उपसभापति : आपने ध्यान खींचा है . . . **(व्यवधान)** . . . वैसे अगर यह कहा जाए कि चार मंत्री बैठे हैं तो चार मिलकर तो एक से ज्यादा हो जाते हैं, मगर यह हो सकता है कि वे लोग बीजी हों कहीं।

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh) : All the four put together do not make one Cabinet Minister.

उपसभापति : हो सकता है कि वे कहीं बीजी हों, किसी हाउस में या मिटिंग में। पता लगाती हूं कि किसकी रोस्टर में ड्यूटी . . .

श्री यशवन्त सिन्हा : मैडम, आपकी ही डायरेक्शन है इस हाउस में कि होना चाहिए और दूसरी बात . . . **(व्यवधान)**

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal) : There is a Cabinet Minister for Parliamentary Affairs. There are two Ministers of State for Parliamentary Affairs.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: The Leader of the House is a Member of this House.

श्री यशवन्त सिन्हा : जीरो आॅवर में यहां बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए जाते हैं, सरकार की तरफ से कोई रिएक्ट करने वाला नहीं है।

उपसभापति : कमालुद्दीन अहमद साहब जो हैं न वह तो इंडिपेंडेंट हैं, वह खुद इसके बराबर हैं और स्वतंत्र मंत्री है, उनके पास जो भी विभाग है, एकदम स्वतंत्र है उनके पास, सिवाय प्रधान मंत्री के अन्य किसी के अंतर्गत नहीं आते ।

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: They are not Members of the Cabinet.

श्री यशवंत सिन्हा : हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर कोई रिएक्ट करने की स्थिति में है ? मैं पूछना चाहता हूं कि कोई मंत्री उस पर रिएक्ट करने की स्थिति में है, जिस मुद्दे को हम यहां पर उठा रहे हैं ? हम लोग इतना हेल्पलैस हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I will convey the sentiments of the House when I adjourn the House for lunch, and we will see that at least one Cabinet Minister is there. रिएक्ट तो कोई जरूरी नहीं, ज़ीरो ऑवर या स्पेशल मेंशन पर कोई रिएक्शन तो होता नहीं, मगर नोट कर लेंगे ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मगर सरकार के हित में है कि वे रिएक्ट करें ।

उपसभापति : श्री राम अवधेश सिंह ।

SHRI DIPEN GHOSH : There is a Cabinet Minister for Parliamentary Affairs. There are two Ministers of State for Parliamentary Affairs. One must make himself present in this House.

उपसभापति : ओ० के०, हो गया न । कभी-कभी हो जाता है, किसी जगह बीजी होंगे ।

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) : सदर साहिबा, . . . (**व्यवधान**) एक मिनट, जस्ट ए मिनट ।

شری سکندر بخت : صدر صاحبہ ... "مداخلت" ... ایک منٹ جسٹ اے منٹ۔

† [Transliteration in Arabic Script.

SHRI DIPEN GHOSH : Madam, Parliament is . . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN : We will find out. Don't argue.

श्री यशवन्त सिन्हा : पार्लियामेंट से महत्वपूर्ण कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता ।

उपसभापति : उस हाउस में बीजी हो सकते हैं, वह भी पार्लियामेंट है ।

श्री यशवन्त सिन्हा : उसमें सब बीजी नहीं हो सकते । एक पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर है, दो स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंटरी अफेयर्स हैं, तीनों वहां बीजी हैं ? क्या हो रहा है वहां पर ? उस सदन में क्या हो रहा है कि वहां पर बीजी हैं और यहां पर नहीं है ?

श्री सुरेंद्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, यहां सरकार के दूसरे मंत्री उपस्थित हैं, ऐश्योरेंस दें कि आज दिन में वह . . . (**व्यवधान**)

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, when they were ruling, no Minister was present here, and we have been doing everything for them. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please, please, please, please. Let us not get agitated. I will find out. I have already told the Secretariat to find out and convey the message. I do not know. Mr. . . . . (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Let us suspend the business of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, no, no, no, we can't suspend the House. You don't want to work. You want to suspend everything. Why don't I suspend you from this ? Please allow. I have not seen Mr. Jacob for the last couple of days. I don't know. He may be out of Delhi. He may not be well. So, we will find out. It is quite possible.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Madam, people don't come to Rajya Sabha. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : At least you come. That is enough.

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो बहस सुब्रहमण्यम स्वामी जी के स्पेशल मेंशन से शुरू हुई है, मेरा कोई इरादा उसमें हिस्सा लेने का नहीं था क्योंकि मेरे लिए तो इस किस्म की बातें ही, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की सियासत कहां पहुंचने वाली है, उसको देखकर के घबराहट हो रही है। लेकिन यह सवाल बुनियादी उठाया यशवंत सिन्हा साहब ने कि यहां मान लीजिए कि केबिनेट मिनिस्टर साहब नहीं हैं स्टेट मिनिस्टर साहब हैं, आखिर इस मसले की सच्चाई तो मालूम होनी चाहिए ताकि जो लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, उसमें कहां जान है, कहां जान नहीं है ? कम से कम स्टेट मिनिस्टर साहब बताएं कि वे कुछ कोशिश करेंगे इत्तिला हासिल करने की, न करने की ? यह खामोशी हैरतअंगेज, खामोशी है।

[شری سکندر بخت : صدر صاحبہ - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بحث سبرامنیم سوامی جی کے اسپیشل مینشن سے شروع ہوئی ہے میرا کوئی ارادہ اس میں حصّہ لینے کا نہیں تھا کیونکہ میرے لیے تو اس قسم کی باتیں ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاست کہاں پہنچنے والی ہے۔ اس کو دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ سوال بنیادی اٹھایا یشونت سنہا صاحب نے کہ یہاں مان لیجیے کیبنیٹ منسٹر صاحب نہیں ہیں۔ اسٹیٹ منسٹر صاحب ہیں۔ آخر اس معاملے کی سچائی تو معلوم ہونی چاہیے تاکہ جو لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس میں کہاں جان ہے۔ کہاں جان نہیں ہے۔ کم سے کم اسٹیٹ منسٹر صاحب بتائیں کہ وہ کچھ کوشش کرینگے اطلاع حاصل کرنے کی۔ نہ کرنے کی۔ یہ خاموشی حیرت انگیز خاموشی ہے۔

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : The Minister is sitting in the other House. I will convey all the feelings of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN : He said that he would convey, and I will also convey. I will also convey. Now let us go ahead.

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, इतने नाजुक मसले पर बहस है कि जाति हमले लोगों पर हो रहे हैं। अब हम तो उसका नाम लेना नहीं चाहते कि हुए हैं या नहीं हुए हैं हो सकता है कि बिल्कुल गलत हो, लेकिन कुछ न कुछ सच्चाई, खराब है यह सतह-हिन्दुस्तान की सियासत की सतह बहुत गलत है और इसको तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक यह सरकार सर्तक नहीं होगी और सच्चाइयां लेकर सामने नहीं आएगी। यह बात क्या हुई आपकी ?

[ ] Transliteration in Arabic Script.

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ اتنے نازک مسئلے پر بحث ہے۔ کہ ذاتی حملے لوگوں پر ہو رہے ہیں۔ اب ہم تو اس کا نام لینا نہیں چاہتے کہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے بالکل غلط ہو۔ لیکن کچھ نہ کچھ سچائی۔ خراب ہے یہ سطح۔ ہندوستان کی سیاست کی سطح بہت غلط ہے۔ اور اس کو تب تک روکا نہیں جا سکتا جب تک کہ سرکار سنجیدہ نہیں ہو گی اور سچائیاں لے کر سامنے نہیں آئے گی۔ یہ بات کیا ہوئی آپ کی۔

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let me call Mr. Jagdish Prasad Mathur.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) महोदय, आपने मुझे बुलाया है या इसके साथ बुलाया हैं ? . . . **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let me call Mr. Jagdish Prasad Mathur हार्डशिप के बारे में बुलाया, hardship to tiny industrial to tiny industrial units due to recent notification. Not my hardship which I have to face.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : वैसे हमारे नेता सिकन्दर बख्त साहब ने बात कह दी है . . . **(व्यवधान)**

उपसभापति : आप सिकन्दर बख्त साहब की बात को तो छोड़िए, अपनी बात कहिए ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैडम्, आपने अच्छा कहा कि सिकन्दर बख्त को छोड़िए और उनकी बात को भी छोड़िए ।

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

उपसभापति : सिकन्दर बख्त साहब की समस्या का समाधान तो मुझे करना है, आपको नहीं करना है । . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : वही हाल मुख्य मंत्री का है । कभी वह किसी नाज़नीन के गालों का जिक्र करते हैं सड़क बनाने के लिए । मैं नाम नहीं लेता । छपा है कि हम बिहार में ऐसी सड़क बनायेंगे कि नाज़नीन के गालों की तरह हो । कभी यह धमकी दी जाती है, कभी डकैती डाली जाती है । तो मेरा कहना यह है कि मुख्य मंत्री आज यहां मौजूद हैं । उनसे पूछकर कम से कम गृह मंत्री बता दें कि सच्चाई क्या है ? अब मैं अपने मसले पर आता ।

Hardships faced by tiny Industrial Units due to Recent Notification

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) : महोदया, दिल्ली में बहुत छोटे-छोटे कारखाने हैं, जिन्हें बहुत लघु से भी लघु कहा जा सकता है—टाईनि । ऐसे लगभग 80 हजार कारखाने दिल्ली में हैं । लेकिन अभी 31 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिससे 80 हजार में से कम से कम आधे कारखाने हलाल हो जायेंगे, वह नष्ट हो जायेंगे । इससे पूर्व 6—7 साल पहले से इन छोटे कारखानों को यदि उनका 75 हजार टर्न ओवर होगा तो . . . **(व्यवधान)** ऐसी बात तो मैंने कही नहीं, जो मैडम्, आप मुस्करा रही हैं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : आपके मुस्कराने पर भी एतराज है, मैडम् ।

उपसभापति : माथुर साहब, मैं कोई गुस्सा करती हूं तो आप कहते हैं कि मैं गुस्सा करती हूं । मैं कभी नहीं बोलती हूं तो कहते हैं कि नहीं बोलती हूं । अगर मैं हंस रही हूं तो आपको उस पर भी एतराज है । At least you should be happy that I am not getting angry.